आर टी आइ मामला

अति तत्काल

फा.सं. II-18015/74/2013-एन एम-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 27.12.2013

सेवा में

सुश्री रूबी शर्मा
पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा
निवासी रसूलपुर रोहता
तहसील एवं जिला : मेरठ
उत्तर प्रदेश ।

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सुश्री रूबी शर्मा, पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी रसूलपुर रोहता, तहसील एवं जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई सूचना।**

कृपया उपर्युक्त विषय पर प्रशासन-II अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03.12.2013 के का.ज्ञा. सं. ए-42012/81/2013-प्रशा.-II के तहत इस प्रभाग में दिनांक 06.12.2013 को प्राप्त अपने दिनांक 27.09.2013 के आवेदन का अवलोकन करें।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है और इसे **'शून्य'** समझा जाए।

3. इस अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई है, इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर श्री एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (एन एम-I) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. श्री एस. सामन्त, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 29.10.2013 के का.ज्ञा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

2. श्री वी.के. राजन, उप सचिव (ई) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रशा.-II अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 03.12.2013 के का.ज्ञा. सं. ए-42012/81/2013-प्रशा.II के संदर्भ में।

P/C issued R&I

2/1/2014

ISSUED
02 JAN 2014
MHA (NB)
R&I

Ministry of Home Affairs / New Delhi
01 OCT 2013
1684788
CR Section / Block

सेवा में ,

श्री मान् जन सूचना अधिकारी / सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार , नई दिल्ली ।

विषय :- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु :-

{1}. प्रश्न :- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहटा तह० व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व , 554ब क्या विवादित जमीन है ,और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरीक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व० सूरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है , जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है । इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावें ।

{2}. यदि आपके मन्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार ,आज्ञा से , सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावें , तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावें । जिसके सम्बन्ध में जवाब द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जावें ।

Ruby Sharma

A-I
A-II
DIR(Pers)
DS(Pers)

क्रमशः :------2

(3) यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और किस न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की जावे । की सूचना अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीनि को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 26-07-2013

प्रार्थिनी

Ruby Sharma

रूबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा
नि० ग्राम रसूलपुर रोहटा ,पर0 तह0 व
जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे० तुलसी
कालौनी, गली नं०-2, कंकरखेडा, मेरठ ।

संलग्नक:-
=======

1- पो0 आ0 अंकन 10/-रू०
सं०-17F-841722
दिनांक :- 27/9/13

2- सूचना जन साधारण के प्रकाशन बोर्ड की फोटो ।

[illegible]

[illegible] को सूचित किया जाता है।
[illegible] है तथा कोर्ट के विचाराधीन है।
कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई भी व्यक्ति
[illegible] खरीदने की चेष्टा ना करें। आज्ञा की
[illegible] पर व्यक्ति स्वयं खुद जिम्मेदार होगा।

[illegible]

नरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजचन्द शर्मा
निरीक्षक अधिकारी, गृह मंत्रालय भारत सरकार